निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 18 / 2025
दायरा दिनांक:–06.03.2025
निर्णय दिनांक:– 28.4.25

उनवान

1. पंसू उर्फ पंसूरीबाई आयु 79 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नी प्रभूलाल जाति धोबी निवासी निपानिया हाल मोखमपुरा तहसील छीपाबड़ौद हाल छावनी कोटा जिला कोटा (राज०)
2. भूली आयु 75 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नी श्रीलाल जाति धोबी निवासी निपानिया हाल बरसत तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)
3. बबलू आयु 45 वर्ष पुत्र रामनाथी पिता मानसिंह हाल कडैयावन तहसील छबड़ा
4. घींसी आयु 60 वर्ष पुत्री रामनाथी पिता मानसिंह हाल कड़ैयावन तहसील छबड़ा हाल किशोरपुरा कोटा (राज०)
5. चंद्रकला आयु 48 वर्ष पुत्री रामनाथी पिता मानसिंह हाल कडैयावन तहसील छबड़ा जिला बारां हाल किशोरपुरा कोटा जिला कोटा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमली आयु 52 वर्ष पुत्री गोपाल पत्नी रमेश जाति धोबी हाल निवासी ग्राम कड़ैयाहाट तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
2. विष्णु आयु 35 वर्ष पुत्र गुलाबचंद जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
3. विजय आयु 26 वर्ष पुत्र गुलाबचंद जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
4. रामप्यारी आयु 60 वर्ष बेवा गुलाबचंद जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
5. रचनाबाई आयु 30 वर्ष बेवा कुलदीप जाति धोबी निवासी निपानिया तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
6. शीतल आयु 8 वर्ष नाबालिग पुत्री कुलदीप जाति धोबी निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) नाबालिग जर्ये वली माता रचनाबाई
7. मयंक आयु 4 वर्ष नाबालिग पुत्र कुलदीप जाति धोबी निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज०) नाबालिग जर्ये वली माता
8. रामदुलारी पुत्री मांग्या पत्नी मोहनलाल जाति धोबी निवासी निपानिया हाल हड्डीमील गुना जिला गुना म०प्र०
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तह० छबड़ा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

10. राजस्थान सरकार जर्ये सबरजिस्ट्रार साहब, छबड़ा जिला बारां (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 28.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव – प्रार्थी
2. श्री विनोद भार्गव – अप्रार्थी
3. श्री देवेन्द्र कुमार मेहता – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 ता 8 के पूर्वजों की कृषि भूमियात ग्राम निपानिया के मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या 427/424 की भूमि खसरा नंबर 415 रकबा 0.0253 है०, खसरा नंबर 713 रकबा 3.8061 है० कुल किता दो रकबा 3.8314 है० दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड है। ताबिक जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के अनुसार निपानिया की भूमि खसरा नंबर 415 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 713 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीगण 1 व 2 के पिता मोहनलाल पुत्र मन्ना जाति धोबी के नाम दर्ज रेवेन्यू रिकार्ड थी। मोहनलाल का स्वर्गवास होने पर कॉलम नंबर 16 में वारिसान गोपाल, मांग्या, रामनाथी, भूली, पंसू का नाम दर्ज है। इंतकाल नंबर 204 खोला गया। जिसमें मोहनलाल के वारिसान गोपाल, मांग्या पिता मोहनलाल, सुन्दर बेवा मोहनलाल का नाम दर्ज किया गया। तीनों पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि प्रार्थीगण भी बराबर की वारिस होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी थी। दिनांक 28.03.1973 को मोहनलाल का फोती इंतकाल नंबर 204 खोला गया। जिसमें तीनों पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि तीनों पुत्रियों वारिस होने से समान हक प्राप्त करने की उत्तराधिकारी थी। उक्त इंतकाल ग्राम पंचायत निपानिया द्वारा तस्दीक किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। इंतकाल नंबर 454 से खसरा नंबर 713 की भूमि में से 12 बिस्वा भूमि सड़क में जाने के कारण पी०डब्ल्यू०डी० के खाते दर्ज हुई। प्रार्थीगण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम शिड्यूल के वारिसान है। जिन्हें समान हक प्राप्त है। जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में पुत्रियों का विवरण दर्ज है। किंतु इंतकाल खोलते समय हल्का पटवारी ने इंतकाल में पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया है। प्रार्थीगण मोहनलाल जी के वारिसान होने से इस विश्वास में थे कि प्रार्थीगण का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। किंतु जमाबंदी की नकलें प्राप्त करने पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई तो इंतकाल की नकल प्राप्त की। तब वास्तविकता का पता दिनांक 31.01.2025 को हुआ। मुताबिक सजरा माता सुन्दरबाई का स्वर्गवास होने पर पुत्र व पुत्रियां 1/5–1/5 हिस्से की हकदार है। वारिसान में गोपाल, गुलाबचंद, मोत्याबाई, कुलदीप का स्वर्गवास हो चुका है। मांग्या व कैलाशीबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है। रामनाथी पुत्री मोहनलाल का भी स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिसान इस वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। अप्रार्थी कम 6 व 7 नाबालिग पुत्र व पुत्री है। जिनका हित उनकी माता में निहित है। इसलिए यह वाद/प्रार्थना पत्र जर्ये संरक्षक वली व सरपरस्त माता के पेश किया जा रहा है। 10. ग्राम निपानिया की भूमि खसरा नंबर 415 व 713 की कुल भूमि में प्रार्थीगण का 3/5 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी है तथा प्रार्थीगण 1/5–1/5–1/5 कुल 3/5 हिस्से के अनुसार भूमियात प्राप्त कर बंटवारा कराकर सीमाज्ञान व नक्शा ट्रेस में भी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

द्वारा दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण मुताबिक बंटवारा अपने हिस्से की भूमियात पर अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से चिरकाल के लिए पाबंद कराने की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। वकील प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया तहसील छवडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 427 नकल नक्शा ट्रेस नकल नक्शा ट्रेस ग्राम निपानिया नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 424 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 79 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 72 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 59 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 69 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 70 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 77 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2042–45 खाता संख्या 63 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2037–40 खाता संख्या 70 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2033–36 खाता संख्या 67 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2029–32 खाता संख्या 182 नकल जमावन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2025–28 खाता संख्या 182 नकल नामान्तरण संख्या 204 दिनांक 28.03.1973 पंचनामा पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छवडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण 1 व 2 के पिता मोहनलाल पुत्र मन्ना धोबी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। मोहललाल का स्वर्गवास होने पर वारिसान गोपाल मांग्या रामनाथी भूली पंसु का नाम दर्ज है इन्तकाल नम्बर 204 खोला गया जिसमें मोहनलाल के वारिसान गोपाल मांग्या पुत्र मोहनलाल सुन्दर वेवा मोहनलाल का नाम दर्ज किया गया। तीनों पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया। प्रार्थीगण भी वराबर की वारिस होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। दिनांक 28.03.1973 को मोहनलाल का फोती नामान्तरण खोला गया। जिसमे तीनों पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया। जबकि तीनों पुत्रियों वारिस होने से हक प्राप्त करने की अधिकारी है फोती नामान्तरण सरपंच ग्राम पंचायत निपानिया द्वारा तस्दीक किया गया है जो काबिल खारजी है नामान्तरण संख्या 454 से खसरा नम्बर 713 की भूमि में से 12 बिस्वा भूमि सडक मे जाने के कारण PWD के खाते दर्ज हुई हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1957 धारा 6 तथा 8 सहदायिकता सम्पत्ति में प्रत्येक सदस्य का जन्म से सहदायिकता सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थीगण भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम शिड्युल के वारिसान है जिन्हे समान हहक प्राप्त है जमावन्दी सम्वत् 2025–28 में पुत्रियों का विवरण दर्ज है परन्तु नामान्तरण खोलतें समय पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया है अप्रार्थीगण विवादित आराजी को बेचान करने पर आमादा है प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 415,713 की भूमि में 3/5 हिस्सा निहित त्रिहै जिसे प्राप्त करने की अधिकारी है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि कमली एवं रामदुलारी अपना हिस्सा बेचान कर कब्जा क्रेतागण को दे चुकी है वादीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा ओर ना ही भूमि वादीगण के खाते में है प्राइमा फेसाई केस उत्तरदाता के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी उत्तरदाता के पक्ष में है प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थीगण द्वारा 52 वर्ष बाद अपना हिस्सा प्राप्त करने का दावा पेश किया है जो लिमिटेशन से बाहर है जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है पुत्रियों को अधिकार सन् 2005 में दिए गये है उससे पहले अधिकार नही था। प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण खारिज कराने की अपील पेश नही की है प्रार्थीगण इतने समय से कहां गई। थी पहले दावा पेश क्यों नही किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 427 में कमली, कुलदीप,रामदुलारी,रामप्यारी, विजय, व विष्णु के शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपनिया सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 424 प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 79 सम्वत् 2062–65 खाता संख्या 72 सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 59 सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 69 सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 70 के अनुसार गुलाबचन्द पुत्र गोपाल हिस्सा 1/12 रामदुलारी पुत्री मांग्या हिस्स 1/12 कमली पुत्री गोपाल हिस्सा 1/12 जाति धोबी दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 77 के अनुसार गुलाबचन्द हिस्सा 1/3 रामदुलारी हिस्सा 1/3 सुन्दर बेवा मोहनलाल हिस्सा 1/3 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2042–45 में गोपाल मांग्या पुत्र मोहललाल मु0 सुन्दर वेवा मोहनलाल जाति धोबी दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2037–40 सम्वत् 2033–36 सम्वत् 2029–32 में गोपाल मांग्या पुत्र मोहनलाल मु0 सुन्दर बेवा मोहनलाल कोम धोबी के नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2025–28 में मोहनलाल पुत्र पन्ना जाति धोबी के नाम दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 16 में मोहनलाल फोत सुलकी वारिस गोपाल, मांग्या, रामनाथी, भूली पंसु, इन्तकाल संख्या 204 से गोपाल, मांग्या पि0 मोहनलाल सुन्दर बेवा मोहनलाल धोबी अंकित है नकल नामान्तरण संख्या 204 ग्राम निपानिया दिनांक 28.03.1973 के अनुसार मोहनलाल का फोती नामान्तरण दर्ज किया गया जिसमें गोपाल मांगीलाल बेवा सुन्दर का नाम अंकित है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मोहनलाल के खातेदारी की थी उनके मरने के बाद पुत्र गोपाल, मांग्या पुत्र मोहनलाल एवं सुन्दर बेवा मोहनलाल के नाम नामान्तरण खोल कर दर्ज किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2025–28 में गोपाल, मांग्या व सुन्दर के साथ–साथ कॉलम संख्या 16 में रामनाथी, भूली व पंसु का भी नाम अंकित है परन्तु नामान्तरण में मात्र तीन का नाम अंकित कर नामान्तरण खोला गया मोहनलाल के फोत होने पर सम्पूर्ण वारिसान के नाम नामान्तरण ना खोल कर मात्र तीन वारिसान के नाम नामान्तरण तस्दीक किया गया था। अर्थात् प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। चूंकि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) 2005 के सुसंगत प्रवधानों के आधार पर किया जाएगा परन्तु इस प्रकरण में वाद बहुलता एवं अनावश्यक विवादो को रोकने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छवडा के खसरा नम्बर 415 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 713 रकबा 3.8061 है0 भूमि पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छवडा